

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)  
क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-584 / 2023) / अलेसे-III / 656 दिनांक:- 12/02/26

**कार्यालय आदेश**

श्रीमती रेखा चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 778586 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर को राजस्थान सेवा नियम (खण्ड-प्रथम) के नियम-96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण (अवैतनिक) अवकाश (पारिवारिक परिस्थितियों के कारण) स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 07.07.2025 से 01.08.2025 तक (कुल 26 दिवस)

उक्त 26 दिवस के असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती रेखा चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

यह निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)  
क्रमांक:- एफ.4(ई)(आर-584 / 2023) / अलेसे-III / 656 दिनांक:- 12/02/26  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदया।
- 3 श्रीमती रेखा चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) रोल नं.- 778586 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जोधपुर।
- 4 संयुक्त निदेशक (आईटी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5 रक्षित/निजी पत्रावली।

(सीमा कौशल)  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)  
Signature valid

Digitally signed by Seema Kaushal  
Designation: Joint Director  
Date: 2026.02.10 10:44:45 IST  
Reason: Approved



eSign 1.0